जिला कलैक्टर ने ली जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक

अलवर, (निसं)। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक लेकर चिकित्सा विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

जिला कलक्टर ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान के तहत विगत वित्तीय वर्ष में जिले की 73 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त की गई तथा इस दिशा में निरन्तर कार्य करते हुए जिला प्रशासन की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं चिकित्सा विभाग के प्रयासों से इस वर्ष 174 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त कराया गया है। उन्होंने निर्देश दिये कि शेष रही ग्राम पंचायतों को भी यथाशीघ्र टीबी मुक्त करावे। उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी बीसीएमओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की ईकेवाईसी यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु एंटी लार्वा गतिविधियां आयोजित की जावे। उन्होंने निर्देश दिये कि चिकित्सा संस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था करें कि 24 घण्टे प्रसव किए जा सके। साथ ही गर्भवती महिलाओं की सभी आवश्यक जांचे कराई जाए एवं लाभार्थी महिलाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान समयबद्ध रूप से किया जावे। उन्होंने एनीमिया की रोकथाम हेतु पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में पंजीयकृत गर्भवती महिलाओं की समय पर प्रसवपूर्व जांच कराकर उपचार से लाभांवित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की समीक्षा करते हुए सभी बीसीएमओ एवं चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि समयबद्ध तरीके से पर्ची की एंट्री करावे तथा चिकित्सा संस्थान पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दवाओं का इंडेंट करें एवं सुनिश्चित करें कि सभी दवा वितरण केंद्रों पर दवाएं उपलब्ध होवे।

जिला कलैक्टर ने आज कलैक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली।

- कलैक्टर ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी बीसीएमओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये

हिंदू नव वर्ष पर निकलेगी भगवा रैली

शाहपुरा (निसं)। शहर में 19 मार्च हिंदू नववर्ष पर विशाल भगवा रैली शोभायात्रा व चोपहिया वाहन रैली निकाली जाएगी। जिसमें भगवान नरसिंह की सजीव झांकी और अघोरी नृत्य लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। रैली की तैयारी जोरों पर हैं। भगवा रेली के पोस्टर का त्रिवेणी धाम के संत शिरोमणि राम रिछपाल दास जी महाराज ने विमोचन किया। जय श्री राम सेवा समिति के संयोजक रमेश कुमावत व अध्यक्ष रोहिताश रूडला ने बताया कि प्रतिवर्ष की बातें इस बार भी हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष में विशाल भगवा रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें नासिक का विश्व प्रसिद्ध ढोल ताशा, इंदौर का डबल डेकर डीजे, नरसिंह भगवान की सजीव झांकी व अघोरी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। साथ ही सनातन प्रेमियों का ड्रोन के माध्यम से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा।

'रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन'

भरतपुर (निस)। केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की बढ़ाई गई कीमतों एवं कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री पर रोक लगाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश सूपा के निर्देशन में बिजली घर चौराहा भरतपुर पर जिले के समस्त कांग्रेस जनों द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया।

- जिले के समस्त कांग्रेस जनों द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया

कांग्रेस संगठन महासचिव योगेश सिंघल ने बताया कि कार्यक्रम में पुतला दहन से पहले एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए दयाचंद पचौरी, सतीश प्रधान, प्रशांत उपाध्याय, श्रीभगवान कटारा एवं बबीता शर्मा सहित कई वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए भाजपा सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा कि रसोई गैस के दामों को बढ़ाकर केंद्र सरकार ने आम घरों का बजट बिगाड़ दिया है तथा यह विवाह शादियों का सीजन है ऐसी स्थिति में होटल एवं मैरिज होम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता न हो होने की वजह से पहले कराई हुई विवाह शादियों की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, जिससे आम आदमी को बेहद कठिनाई एवं असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार की कमजोर विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका, इजरायल एवं ईरान में हो रहे युद्ध के समय देश के हितों को संरक्षित रखने में केंद्रीय भाजपा सरकार पूरी तरह विफल रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अचानक महंगाई का पारा आसमान छू गया है। जिससे आम आदमी की कमर टूट चुकी है। ऐसी जन विरोधी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम आदमी के हितों की रक्षा करने में विफल रहने पर नैतिकता के आधार पर अपने पद का त्याग कर देना चाहिए। केंद्रीय भाजपा सरकार कि इस जन् विरोधी निर्णय के विरोध में प्रदेश के आम नागरिक की आवाज को बुलंद करने हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आवाहन पर पूरे राजस्थान में समस्त जिला मुख्यालयों पर आज और कल ऐसे विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहे हैं।

रसोई गैस की बढ़ी कीमतों एवं कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री पर रोक लगाने के विरोध में प्रदर्शन।

स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए स्वच्छता जरुरी : के. के. गुप्ता

टोंक, (निसं)। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में टोंक जिले की समस्त नगरीय निकायों, रूडीप परियोजना तथा जल जीवन मिशन से संबंधित अधिकारियों की बैठक का आयोजन स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के.के. गुप्ता की अध्यक्षता में हुई।

- सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति, डोर टू डोर कचरा संग्रहण एवं नियमित साफ सफाई के लक्ष्य बनाकर कार्य करें : के.के. गुप्ता

बैठक को संबोधित करते हुए ब्रांड एम्बेसडर श्री के.के. गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए स्वच्छता बेहद जरुरी है। आपके शहर, मोहल्ले एवं आस पास के क्षेत्र की स्वच्छता शारीरिक एवं मानसिक रुप से सकरात्मक उर्जा देती है।

स्वच्छता एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि वर्षभर सतत रुप से किया जाने वाला कार्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में टोंक जिले के शहरी निकायों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त एवं स्वच्छ व सुंदर बनाने का लक्ष्य सभी का होना चाहिए। स्वच्छता के कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बेहतर कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित एवं लापरवाह कार्मिकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी

आमजन द्वारा दी गई शिकायतो का निस्तारण भी जल्दी ही करवाने का प्रयास किया जाएगा। जिनमें शत प्रतिशत डोर टू डोर कचरा संग्रहण, गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण, 365 दिन कचरा उठाव, जीपीएस के माध्यम से सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति एवं पेनल्टी की व्यवस्था शामिल है।

के.के. गुप्ता की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ।

दिगराज सिंह शाहपुरा ने उठाई जरूरतमंद परिवार की जिम्मेदारी

मनोहरपुर (निसं)। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर दिगराज सिंह शाहपुरा ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शाहपुरा के मनोहरपुर क्षेत्र में रहने वाली असहाय विधवा महिला और उसके दो बच्चों की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया है।

क्षेत्र में रहने वाले आमजन ने दिगराज सिंह शाहपुरा को बताया कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है और जीवनयापन के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए कुंवर दिगराज सिंह शाहपुरा ने व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़कर इस परिवार के लिए राशन और अनाज की नियमित व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने यह भी घोषणा की विधवा महिला के दोनों बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का पूरा खर्च वे स्वयं वहन करेंगे, और यह जिम्मेदारी तब तक निभाएंगे जब तक दोनों बच्चे कक्षा 12वीं तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते यदि समाज के लोग इसी प्रकार सहयोग और संवेदनशीलता के साथ आगे आएं।

घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर्याप्त, आमजन अफवाहों पर ध्यान नहीं दें: कलैक्टर

टोंक, (निसं)। वर्तमान में मध्य पूर्व एशिया में युद्ध की परिस्थितियों के मध्यनजर भारत सरकार द्वारा गैस आपूर्ति संबंधी नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति नियमित रुप से जारी रहेगी तथा आमजन को घबराने की आवश्यकता नही है।इसे लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों तथा गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर कक्ष में बैठक ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि गत 9 मार्च से व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है परंतु घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है।

- जिला कलैक्टर कल्पना अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति नियमित रुप से जारी रहेगी

उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति का जिले में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इस संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों में रसोई गैस की निर्बाध एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति प्रक्रिया की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिले में एसडीओ, पुलिस उपाधीक्षक एवं रसद विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों की संयुक्त निगरानी समितियां बनाई गई है। यह कमेटी मांग एवं आपूर्ति के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की स्टॉकिंग, आवाजाही एवं वितरण प्रक्रिया की प्रभावी मॉनिटरिंग करेगी तथा घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी एवं अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल के विरुद्ध प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करेगी।

जिला कलैक्टर व पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ कलेक्टर कक्ष में बैठक ली।

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिक्री के
(ओ. 21 रूल 22 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-5 जयपुर महानगर प्रथम जयपुर
देवेन्द्र कुमार गाँधी बनाम अजय वर्मा व अन्य
डिग्री बाबत विशिष्ठ अनुपालना इकरारनामा
मुकद्दमा नम्बर 8/2025
सी.आई. एस.नम्बर इजराय 158/2025
मुसम्मी अजय वर्मा वल्द श्री आर.पी.वर्मा कौम हिन्दू साकिन प्लाट नम्बर 87 कृष्णा नगर सिरसी रोड जयपुर (राज.) साकिन..... तहसील.....
चूंकि डीक्रीदार ने डिग्री अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-5 जयपुर महानगर की दि0 17/12/2016 व मुकद्दमे नम्बर 128/2012 सन् को इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि आप इस अदालत में वार 16 तारीख 03 माह 2026 10 ए.एम. को हाजिर होकर अगर कोई उजर वास्ते आपके खिलाफ इजराय किये जाने डिग्री रखते हो तो पेश करें।
आज या तारीख 06/03/2026 व सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के जारी किया गया।
आज्ञा से-वरिष्ठ रीडर/शरिस्तेदार
मोहर अदालत
अपर जिला न्यायाधीश क्रम-5 जयपुर महानगर प्रथम

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(आदेश 41 के नियम 14)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-01 जयपुर महानगर-द्वितीय
नाम न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-01 जयपुर महानगर द्वितीय
एल.बी.एल.माथुर विरूद्ध नेहरू निशा वगैं.
अपील C.R.A.
अपील नं. 64/17 CIS No. 108/17
A.M.5 जयपुर नगर के न्यायालय की तारीख 22/2/17 को निर्णय की अपील
नाम (1) नाम स्वास्तिक गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा अवसायक सहायक पंजीयक सहकारी समितियों मिनी सचिवालय बनीपार्क जयपुर (2) श्री मोहम्मद तारीक पुत्र स्व.श्री मोहम्मद मुनीर खां ई-177 रमेश मार्ग, सी-स्कीम जयपुर व अन्य पता खसरा नं. 337, लुहारू हाउस के सामने, सिविल लाइन्स, जयपुर
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में.... की डिक्री को अपील वादी द्वारा उपस्थित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिये इस न्यायालय द्वारा ता.23 माह 03 सन् 2026 नियत की गई है। यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिये कार्य करने के लिये विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जावेगी।
यह आज तारीख 07 माह 03 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
रीडन ग्रेड-प्रथम
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-01 जयपुर महानगर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/AJMER/TRUST/2026/894
चूंकि प्रार्थी श्री MANOJ JAIN, BAKALIWAL HOUSE POLICE THANE KE PASS PURANI TONK DISST TONK ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास सामाजिक जन चेतना एवम् ग्रामीण विकास संस्थान टोंक BAKALIWAL HOUSE POLICE THANE KE PASS PURANI TONK ROAD TONK के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 01.06.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/AJMER/TRUST/2026/795
चूंकि प्रार्थी श्री RAMESH KUMAR MUKUL, HOUSE NO. 6, VIVEKANAND COLONY, DEOLI, TONK, RAJASTHAN 304804 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास दी देवनारायण ग्राम विकास संस्थान टोंक CIVIL LINE, TONK, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 26.05.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1777
चूंकि प्रार्थी श्री SUSHIL KUMAR JAIN, 153/15 MANSAROVER JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन समिति SECTOR 10 MEERA MARGH AGARWAL FARM MANSAROVER JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.05.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1774
चूंकि प्रार्थी श्री ABU TALIB, ABU TALIB ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास अल रहमान ट्रस्ट PLOT NO.378 KAMLA NEHRU NAGAR HASANPURA C JAIPUR 302006 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.05.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1852
चूंकि प्रार्थी श्री HEMAN DAS RAMCHANDANI, 2/291 JAWAHAR NAGAR JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास पूज्य संत श्री गंगाराम साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर 3/186 MALVIYA NAGAR JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 22.05.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1856
चूंकि प्रार्थी श्री Purushottam Agarwal, 51 Civil Line Gourav Nagar Ward No 26 Jaipur Station Road Rajasthan ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास जी डी सिंघी शिक्षा संस्थान ग्राम भुरटिया तहसील निवाई जिला टोंक 51 Vrindavan Gourav Nagar Civil Lines Ajmer Road Jaipur के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 22.05.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

आम सूचना मेरे अभिभाष्य श्री सुरजन सिंह पुत्र हरसहाय सिंह, उम्र 78 वर्ष (आधार नंबरः 855323065384) ने अपने पुत्र श्रवण सिंह शेखावत उम्र 47 वर्ष (आधार नंबरः 639611415190) को उनके गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से पूर्णतः बेदखल कर दिया है। अब से वह किसी भी प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति उससे साथ कोई लेन-देन न करे, अन्यथा वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
जरियेः मनोज कुमार सिंह, एडवोकेट
मोबाइलः 7742189421

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल वृत अलवर
आवश्यक सूचना
आवास संख्या 3/12, एस.डब्ल्यू.बी. योजना अलवर जो कि मुकत श्रीहरिश तलवार पुत्र स्व. श्री प्यारेलाल तलवार व श्रीमती सरोज तलवार पत्नि श्रीहरिश तलवार को संयुक्त रूप से जरिये आवंटन पत्रांक 890 दिनांक 23.04.1987 एवं संशोधित आवंटन पत्रांक 3443 दिनांक 22.08.1987 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा आवास का अंतेय प्रमाणपत्र क्रमांक 6594 दिनांक 31.03.2002 को श्री हरिश तलवार व श्रीमती सरोज तलवार के पक्ष मे संयुक्त नाम से जारी कर दिया गया था। श्री हरिश तलवार व श्रीमती सरोज तलवार द्वारा आवास की रजिस्ट्री रूप से संयुक्त नाम से दिनांक 31.03.2002 को उपखंडीय कार्यालय अलवर मे पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री हरिश तलवार की मृत्यु दिनांक 07.01.2014 को हो जाने के उपरांत उनकी उत्तराधिकारिणी पत्नि श्रीमती सरोज तलवार द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत रिलीजडीड (हकत्याग पत्र) दिनांक 12.08.2015 व मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत शपथपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर उक्त आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने हेतु शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है।
अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 3/12, एस.डब्ल्यू.बी. योजना अलवर के सम्बन्ध मे पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस मे, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर मे अपना एतराज लिखित मे प्रस्तुत करे अन्यथा श्रीमती सरोज तलवार पत्नि स्व. श्री हरिश तलवार के पक्ष मे आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

खोया पाया
मेरा गोमती देवी पत्नी कानाराम गुर्जर निवासी दहमी कला बगरू का ग्राम पंचायत दहमी कला द्वारा जारी किये प्लाट नं.54 का रजिस्ट्रेशन बगरू के आस-पास खो गया है। सम्पर्क सूत्र-7619720966
मेरे भूखण्ड संख्या - 252/298-11 योजना ग्राम बस्सी सीतारामपूरा जयपुर का मूल पट्टा व साईट प्लान कही गुम हो गया है मिलने पर संपर्क करेंसंदेश गोयल मो. - 9829880804
प्रॉपर्टी दस्तावेज खसरा नं. 281 पटवार हल्का हाथीदेह श्रीमाधोपुर दुकान नं. 08 और 10 रकबा 0.13 में से 38.88 वर्ग गज या 32.52 वर्ग मीटर रजिस्ट्री श्री कैलाश चन्द यादव पुत्र प्रभुदयाल यादव गांव - हाथीदेह के नाम से रजिस्ट्री दिनांक 26.05.2026 रजिस्ट्री दस्तावेज था उक्त प्रॉपर्टी मैं स्वयं रोहिताश कुमार जांगिड़ पुत्र जगदीश प्रसाद जांगिड़ निवासी हाथीदेह तह0 अजीतगढ़निवासी के नाम से रजिस्ट्री दिनांक 01-09-2025 को मैंने यह प्रॉपर्टी कैलाश चन्द यादव से रोहिताश कुमार जांगिड़ के नाम हो गई। यह प्रॉपर्टी दस्तावेज जो कैलाश चन्द जांगिड़ के नाम था वह मेरे पास गुम हो गया।

नाम परिवर्तन
मेरी पुत्री का नाम वैभवी पारीक है जबकि जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम आरोही पारीक दर्ज हो गया। वैभवी पारीक और आरोही पारीक दोनों ही मेरी पुत्री के नाम है। भविष्य में उसे वैभवी पारीक पुत्री अभिषेक पारीक के नाम से जाना जावें। निवासी मालपुरा तहसील तहसील मालपुरा जिला टोंक राजस्थान
मैं अन्जू कुमारी सैनी पुत्री श्री धर्मपाल सैनी निवासी वार्ड नं.-1, रिंगस रोड, चौमू, जयपुर। मैंने अपना नाम अंजू कुमारी सैनी से बदलकर अंजू सैनी रख लिया है। भविष्य में मुझे अंजू सैनी के नाम से ही जाना व पहचाना जाए।
I have changed my name from Krati Alok Maheshwari to Krati A Maheshwari D/o Alok Kumar Maheshwari R/o E-148, Jain Mandir, Ambabari, Jaipur, For all purpose.
My name has been changed from Lalaram to Lalit Raj Panwar. From now on I will be known by this name. S-1-60 Sarna Dungri Jaipur

कार्यालय ग्राम पंचायत बालेर पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर
क्रमांक / 2025-26/SPL-01 **ई-निविदा सूचना संख्या 07/2025-26** दिनांक 11.03.2026
पंचायत समिति खण्डार के अधीन ग्राम पंचायत बालेर में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कार्य "सीसी सड़क निर्माण कार्य कैलाश की मील से पूरण खटीक के मकान की ओर ग्राम बालेर हेतु इच्छुक बोली दाताओं / फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में